न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/ 3795 दिनांक – 03/08/23

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 तांबाराम 2 शंकराराम पिसरान टीकमाराम जातियान् मेघवाल निवासीयान सांसीयों का तला (मुरटाला गाला) तहसील व जिला बाड़मेर।		1 कूम्पाराम पुत्र करनाराम वगैराह जातियान् जाट निवासीयान सांसियों का तला, मुरटालागाला, तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 77/2023 दिनांक– 21/07/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण **मौजा सांसियों का तला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1093/635 रकबा 08.17 बीघा व खसरा संख्या 1099/635 रकबा 20.13 बीघा कुल रकबा 29.11 बीघा भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(हस्ताक्षर)
(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2023/ 3796– दिनांक– 03/08/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. तांबाराम पुत्र टीकमाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी सांसियों का तला, मुरटालागाला तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी कूम्पाराम पुत्र करनाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी सांसियों का तला, मुरटालागाला तहसील व जिला बाडमेर।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर